न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2019RAAJu225RTA046 Abhishek Kankriya Vs Lakhvindersingh etc

1. अभिषेक कांकरिया पुत्र महावीर कांकरिया (जैन)
2. महावीर कांकारिया पुत्र मिश्रीमल कांकरिया (जैन)
   निवासीगण 28 अजीत कॉलोनी जोधपुर
3. श्रीमती सरिता पारख पत्नी नितेश पारख (जैन)
   निवासी हाईकोर्ट कॉलोनी, जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. लखविन्दर सिंह पुत्र सुखदेव सिंह सिक्ख जट निवासी काहनसिंहवाला, पी.ओ. शिरिनवाला, तहसील गुरुहरसाय, जिला फिरोजपुर (जलालाबाद) पंजाब
2. मानिन्दरसिंह पुत्र कुलदीपसिंह सिक्ख जट, निवासी जलालाबाद .जिला फिरोजपुर (जलालाबाद) पंजाब जरिये आम-मुख्तयार कुलदीपसिंह पुत्र एस.तेजसिंह सिक्ख जट, निवासी काहनसिंहवाला, पी.ओ. शिरिनवाला, तहसील गुरुहरसाय, जिला फिरोजपुर (जलालाबाद) पंजाब
3. रिछपालसिंह पुत्र सुखदेवसिंह सिक्ख जट, निवासी काहनसिंहवाला, पी.ओ. शिरिनवाला, तहसील गुरुहरसाय, जिला फिरोजपुर (जलालाबाद) पंजाब
4. सुमितपालसिंह पुत्र गुरमीतसिंह सिख, निवासी हरिन्दर नगर, मकान नम्बर बी-9-18/1, फरदकोट, पंजाब जरिये आम मुख्तयार श्रीमती परमजीत कौर बरार पत्नी गुरमीत जट सिख निवासी हरिन्दर नगर, मकान नम्बर बी-9-18/1, फरदकोट, पंजाब
5. गुरुविन्दसिंह पुत्र मोहनलाल गुर्जर निवासी सादुलशहर तहसील सादुलशहर, जिला गंगानगर

----- रेस्पो.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

6. मनोहरलाल पुत्र लिखमीचन्द पालीवाल, निवासी बाप, तहसील बाप, जिला जोधपुर
7. श्रीमती रूपा पत्नी भानीराम पालीवाल, निवासी बाप, तहसील बाप, जिला जोधपुर
8. श्रीमती शंकुतला पत्नी मनोहरलाल पालीवाल, निवासी बाप, तहसील बाप, जिला जोधपुर
9. श्रीमती लीला पत्नी जगदीशचन्द्र पालीवाल, निवासी बाप, तहसील बाप, जिला जोधपुर
10. श्रीमती ललिता पत्नी भंवरलाल पालीवाल, निवासी बाप, तहसील बापं, जिला जोधपुर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जिला जोधपुर

----- **प्रर्फोमा रेस्पो.**

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सहायक कलेक्टर बाप दिनांक 19 मार्च 2019 राजस्व प्रकरण संख्या 59/2019 लखविन्दरसिंह व अन्य बनाम मनोहरलाल इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री प्रेमकुमार विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. सं. एक
श्री पी.सी. पुरोहित अधिवक्ता-रेस्पो. सं. दो व तीन
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. 11
अन्य रेस्पो. अनुपस्थिति

नि र्ण य

दिनांक : 15 नवम्बर 2019

अपीलाण्ट ने विद्वान सहायक कलेक्टर बाप द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 59/2019 लखविन्दरसिंह व अन्य बनाम मनोहरलाल इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 19 मार्च 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 14 मई 2019 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक से पांच ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के तहत वाद प्रस्तुत किया जाना जाहिर करते हुए एक प्रार्थनापत्र दावा रेस्टोर किये जाने बावत सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 9 नियम 9 के अन्तर्गत पेश कर जाहिर किया कि प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक से पांच की ओर से राजस्व ग्राम भीमजी का गांव तहसील बाप में स्थित आराजी खसरा 4/34 रकबा 194 बीघा 18 बिस्वा एवं खसरा संख्या 4/50 रकबा 130 बीघा कुल रकबा 324 बीघा 18 बिस्वा के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 188 के तहत दावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था, जो दिनांक 15 मई 2015 को दर्ज किया जाकर कार्यवाही आरम्भ की गयी, बाद में प्रकरण बहुधा राजस्व लोक अदालतों में बिना सूचना रखे जाने के कारण तथा प्रार्थीगण भी अपने दीगर कार्यों में व्यस्त हो जाने के कारण पेशी पर उपस्थित नहीं हो पाये और उनकी गैर हाजरी में दावा खारिज हो गया। 18 मार्च 2019 को फलोदी आने और अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर वस्तुस्थिति बावत जानकारी हुई, तब ये आवेदन पेश किया जा रहा है। जो स्वीकार किया जाकर मूल दावा रेस्टोर किया जावे। उक्त प्रार्थनापत्र के साथ ही प्रस्तुत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते स्थगन आदेश प्रस्तुत किया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रेस्टोरेशन प्रार्थनापत्र दिनांक 19 मार्च 2019 को दर्ज किया गया और उक्त प्रार्थनापत्र के साथ ही प्रस्तुत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रार्थनापत्र बावत आदेश पारित करते हुए मूल वाद (रेस्टोरेशन प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 9) संख्या 39/2015 बअनवान लखविन्द्रसिंह वगैरा बनाम मनोहरलाल वगैरा के निस्तारण तक राजस्व रिकार्ड की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

यथास्थिति बनाये रखे, के आदेश पारित कर दिये। उक्त आदेश दिनांक 19 मार्च 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया कि अपीलांधीन आदेश मूल वाद रेस्टोर किये जाने के पूर्व ही पारित किया गया है, अतः खारिज किये जाने योग्य है। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट्स को सुने बिना इकतरफा पारित करते हुए मूल वाद (रेस्टोरेशन प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 9) संख्या 39/2015 बअनवान लखविन्द्रसिंह वगैरा बनाम मनोहरलाल वगैरा के निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है, जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 के प्रावधानों के अनुसार इकतरफा आदेश अधिकतम 30 दिन की अवधि के लिए ही दिया जा सकता है। अपीलाधीन आदेश विधि-विरूद्ध होने से अपास्त किया जावे और अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे।

जवाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश सहीं है, वादग्रस्त आराजियात बावत सिविल न्यायालय (अपर जिला व सेशन न्यायालय फलोदी के समक्ष विकय विलेख दिंनांक 4 नवम्बर 1999 व 25 मई 2012 को निरस्त कराने एवं स्थायी निषेघाज्ञा जारी कराने के लिए रेस्पो. लखविन्दरसिंह आदि की ओर से प्रस्तुत प्रकरण संख्या 06/2019 लखविन्द्रसिंह व अन्य बनाम शंकुलता इत्यादि में माननीय अपर जिला न्यायांधीश फलोदी जिला जोधपुर द्वारा दिनांक 28 मई 2019 को वादग्रस्त आराजियात बावत पक्षंकारान को राजस्व रिकार्ड में मुताबिक वादग्रस्त आराजी की यथास्थित बनाये रखने और तहसीलदार फलोदी को किसी भी बेचाननामा को पंजीवद्ध नहीं करने हेतु पावन्द किया गया है। अतः अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जांवे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेस्पो. के अधिवक्ता ने सिविल न्यायायल के उक्त आदेश, तहसीलदार बाप को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र एवं वादग्रस्त आराजियात से संबंधित जमाबंदी संवत 2071-2074 जिसमें खसरा संख्या 4/50 रकबा 30 बीघा अभिषेक कांकरिया पि. महावीर कांकरिया जाति जैन सा. 28 अजीत कॉलोनी जोधपुर खातेदार खसरा संख्या 568, 595, 5967 तथा खसरा संख्या 4/34 रकबा 194 बीघा 18 बिस्वा महावीर कांकरिया पि. मिश्रीमल और खसरा संख्या 4/34 रकबा 100 बीघा सरिता पारख पत्नी नितेश पारख के नाम दर्ज है, की छायाप्रतिया पेश की।। रेस्पो. ने यह भी कथन किया कि रेस्टोरेशन प्रकरण में पारित आदेश के खिलाफ प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाने योग्य है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया जाता है कि --

- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण-रेस्पो. लखविन्दरसिंह इत्यादि का मूल दावा संख्या 37/2015 अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में दिनांक 04 जनवरी 2018 को खारिज किया गया था, जो उपलब्ध अभिलेख के अनुसार आदिनांक तक रेस्टोर किया जाना नहीं पाया जाता है अर्थात दावे का अस्तित्व ही नहीं है।
- दावे के अभाव में राजस्थान काश्तकारी अंधिनियम की धारा 212 के तहत प्रस्तुत आवेदन ग्राह्य ही नहीं है। अतः उसके संबंध में पारित आदेश नितान्त अवैधानिक है और अपास्त किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन आदेश दिनांक 19 मार्च 2019 न्यायसंगत एवं विधिसम्मतः नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/11/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर